भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030

F.No. -: 9-HRB110/2017-CHA दिनांक: 05.10.2017

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ-160001

विषय:- **Diversion of 0.003 ha of forest land for access to Indane LPG Gas Cylinder Godown of M/s Rawal Indane Gas Agency along Bapoli-Goyla Khurd road, L/s at village Bapoli, under Forest Division and District Panipat, Haryana.**

संदर्भ:– प्रधान मुख्य वन संरक्षण के पत्र कमांक प्रशा डी तीन 8024/1015 दिनांक 06.07.17

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय मे संदर्भाकित पत्र एवं ऑनलाइन प्रपोजल नंबर FP/HR/Road/27232/2017 (original proposal no. FP/HR/Others/25550/2017) का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है । प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 31.08.17 द्वारा सैधांनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन सरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन 80247/1761 दिनांक 08.09.17 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतू 0.003 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान करती है ।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/ पौधा बाधक नही है इसलिए कोई कोई वृक्ष नही काटा जायेगा।
iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Chhajpur Khurd to Chhajpur Kalan** , पर प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रू **18,600/- *(Rupees eighteen thousand six hundred Only)*** की राशि से 50 पौधे लगाकर किया जायेगा।
iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
vi. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
vii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगने हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
viii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
ix. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

x. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |

xi. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी | प्रत्येक खम्बें पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक तथा एक खम्बें से दूसरे खम्बें की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जायेगी |

xii. कूड़ा करकट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xiv. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। *राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।*

भवदीय

01/10/2017

(सी.डी. सिंह)

अ. प्र. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division and Distt. Panipat, Haryana.
4. MM/s Rawal Indane, VPO Pasina Kalan, Bapoli, Panipat